उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-11/2022/389/92-2-2022-10जॉच/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 25 मई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत जनपद-कासगंज के पैकेज संख्या-2164 अमापुर से शिडपुरा मार्ग कि0मी0 (8.00 से 15.225) के अनुबंध संख्या-17/एस0ई0/2009-10 दिनांक 20.10.2009 का कार्य दिनांक 05.08.2010 को पूर्ण होने के उपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 सामान्य 1 एवं 2 के अंतर्गत अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाहन न करने, पद का दुरूपयोग करने, उ0प्र0 शासन के आदेशों के अनुरूप पीएमजीएसवाई के दिशा निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों तथा अनुरक्षण कार्य कराये बिना ठेकेदार को भुगतान करने के लिये सी0सी0एल0 की मॉग करने, ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण कार्य न कराये जाने के उपरान्त भी ठेकेदार से दुरभिसंधि करते हुये अनुबंध को पुनर्जीवित कराने एवं ठेकेदार की धरोहर धनराशि अंकन रू0 14,71,059.00 को अवमुक्त करते/कराते हुये शासकीय क्षति कारित किये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1073/92-2-2020-10जांच/2019 दिनांक 02.06.2020 द्वारा श्री कमर अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-कासगंज सम्प्रति प्रखण्ड-मैनपुरी को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री कमर अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-कासगंज के दिनांक 31.03.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1073/92-2-2020-10जांच/2019 दिनांक 02.06.2020 द्वारा श्री कमर अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-कासगंज के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1436/92-2-2020-10जांच/2019 दिनांक 07.09.2020 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-1728/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच-कासगंज/2020-21 दिनांक 03-11-2020 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी श्री कमर अहमद पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों को स्थापित होना पाया गया। प्रमाणित पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 13.01.2021 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 10.02.2021 एवं 27.02.2021 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

4- अपचारी अधिकारी श्री कमर अहमद के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं शासकीय क्षति/अंश निहित होने के संबंध में निदेशक एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मुख्य अभियंता की आख्या दिनांक 08.04.2022 व 27.04.2022 तथा अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित किया जाना नही पाया गया है किन्तु अपचारी अधिकारी श्री कमर अहमद को ठेकेदार के पक्ष में अनुबंध को पुनजीर्वित कराये जाने हेतु की गयी संस्तुति के लिये उत्तरदायी पाया गया परन्तु श्री कमर अहमद जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.03.2020 को सेवानिवृत्त हो गये है को किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नही पाया गया है। अत: श्री कमर अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-कासगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1073/92-2-2020-10जॉच/19 दिनांक 02-06-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1436/92-2-2020-10जांच/2019 दिनांक 07.09.2020 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2022/389(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री कमर अहमद, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-कासगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in